

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रायतभाटा

राज्य परिषद वहीलदार

बनाम... श्री. लाल

किस्म मुकदमा...

द्विपक्ष

नं०

04/2023

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
10/10/2024	<p>पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थी परीकार सरकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्त मण्डल अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पीठिंग रखी जाती है। पत्रावली वास्तु आगामी आदेश मा० रा० मं० अजमेर व जवाब प्रा० पत्र (0)। (R) 10 पी० प्र० सं० दिनांक 26/11/2024 को पेश है।</p> <p>S.D.O.</p>	
26/11/2024	<p>पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थी परीकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्त मण्डल अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पीठिंग रखी जाती है। पत्रावली वास्तु आगामी आदेश मा० रा० मं० अजमेर व जवाब प्रा० पत्र (0)। (R) 10 पी० प्र० सं० दिनांक 3/12/2024 को पेश है।</p> <p>S.D.O.</p>	
03/12/24	<p>पत्रावली पेशा हुई। उभयपक्ष उपस्थित। कर्षील अजमेर में माननीय न्यायालय राजस्त मण्डल अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को बस्ती स्तर पर स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का उपलब्ध किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय का मण्डल अजमेर द्वारा मौके व सिद्धि की अध्यात्मित के आदेश पारित किए, आगामी आदेशों तक प्रकरण में कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को बस्ती कर रहे।</p> <p>S.D.O.</p>	

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शरय अरिये तहसीलदार रावतभाटा घनाम मैरुलाल

रम मुकदमा 2. प्रररर नं० ०५ सन् २०२३

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>घर पेडिंग करी जाना उचित प्रतित होता है अतः पत्रावली को भागनीय न्यायालय को प्रोडल अर्जिमेर के आगामी आदेश परित लेने तल फावली को पेडिंग करी जानर फैसल शुमार हो कर अर्जिमेर से उक की जाती है पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	